17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डॉ0 मधु खरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1691–दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–04–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 130/अ–6/2009–10

1– रामचन्द्र पटेल पिता बीरभान पटेल
2– महावीर पिता जगतधारी पटेल
दोनों निवासीगण– ग्राम दुआरी
तहसील गुढ़, जिला–रीवा (म0प्र0)

.... आवेदकगण

विरूद्ध

शिवशंकर पटेल पिता रामेश्वर प्रसाद पटेल
निवासी– ग्राम दुआरी तहसील गुढ़,
जिला–रीवा (म0प्र0)

....................अनावेदक

....
श्री अरविन्द पाण्डे, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री राधोभान सिंह, अभिभाषक, अनावेदक
....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 17/7/2015 को पारित)

यह निगरानी, आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–04–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि नं0 881 रकबा 0.097 है0 शासकीय अभिलेख में गलत इन्द्राज की दुरूस्ती एवं आबादी निस्तार के लिए आवेदकों द्वारा संहिता कि धारा 115, 116 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील गुढ़, जिला रीवा के समक्ष आवेदन पेश किया। नायब तहसीलदार द्वारा संहिता की धारा 116 एवं 32 के तहत दिनांक 15–02–2008 को शासकीय अभिलेख में आबादी निस्तार अंकित किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 01–07–2010 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि स्वतः मौके से जांच कर उभयपक्षों को विधिवत पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया जाये एवं गुण–दोषों के आधार पर विधि अनुसार आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 01–07–2010 के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा निगरानी आवेदन अपर कलेक्टर जिला रीवा के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 13–4–2012 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश को उचित मानते हुये निगरानी निरस्त की। अपर कलेक्टर के उक्त आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक की ओर से तर्क प्रस्तुत कर बताया गया कि अपर कलेक्टर ने आवेदकों की निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं को अमान्य करने का कोई कारण दिये बिना निगरानी निरस्त करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि में आवेदकों का मकान बना है उसमें कब्जा दखल होना पूरी तरह से प्रमाणित था, तथा यह भी साबित था कि संबंधित भूमि में आवेदकों की आबादी है एवं पुस्तैनी मकान है। राजस्व अभिलेख में भी

आवेदकों का कब्जा होना अंकित है। तदानुसार खसरे में अचानक कब्जा लिखना बन्द कर दिया, उसके सन्दर्भ में तहसीलदार ने जांच उपरांत जो आवेदकों का कब्जा दर्ज करने का आदेश दिया था उसमें कोई त्रुटि नहीं थी। यह भी तर्क दिया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण इस आधार पर प्रत्यावर्तित किया गया कि विचारण न्यायालय में अनावेदक शिवशंकर को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिला और पटवारी द्वारा सूचना पत्र में जो तथ्य लिख है उसके आधार पर काल्पनिक निष्कर्ष बिना किसी रिकार्ड को देखे ही दिया गया, जो कि सही नहीं है। आवेदकों के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी कहा गया कि विवादित भूमि में कब्जा दखल आवेदकगण का है, विचारण न्यायालय में जो जांच प्रतिवेदन आदि प्रस्तुत किया गया था, उसके आधार पर भी आवेदकों के कब्जे की पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में तकनीकी आधार पर प्रकरण रिमान्ड भी किया गया तो किसी बिन्दु पर किसी प्रकार के अधिकारों के बावत् टीका टिप्पणी जरूरी नहीं थी। विशेष रूप से जब दीवानी दावा पक्षकारों के मध्य चल रहा है। अंत में आवेदकों के अधिवक्ता ने अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत कर बताया कि रामचन्द्र पटेल पिता श्री बीरभान पटेल, निवासी ग्राम दुआरी ने एक आवेदन पत्र भूमि नं0 881 रकबा 0.97 है0 पर संहिता की धारा 115, 116 के तहत प्रस्तुत किया। उक्त आराजी पर आवेदकों का कब्जा दर्ज किया जाये। अनावेदक शिवशंकर पटेल ने जवाब में व्यक्त किया कि उक्त आराजी पर अनावेदक की आबादी व कब्जा दर्ज है व यह भी व्यक्त किया कि आवेदकों का उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का हित है न ही कब्जा है। आवेदन सारहीन होने के कारण आवेदकों का आवेदन पत्र निरस्त करें किन्तु नायब

तहसीलदार ने आवेदकों का कब्जा मानकर आबादी निस्तार करने की स्वीकृति दे दी। पटवारी के गलत प्रतिवेदन के आधार पर महावीर पिता जगतधारी पटेल का नाम भी अंकित करने का भी आदेश दिया। नायब तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अनुविभागीय अधिकारी गुढ़ के यहाँ अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार गुढ़ के आदेश को निरस्त करते हुए प्रकरण प्रत्यावर्तित इस निर्देश के साथ किया कि स्वतः मौके की जांच कर उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाये एवं गुण–दोषों के आधार पर आदेश पारित किया जावे। लिखित तर्क में यह भी कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में कोई कानूनी भूल नहीं, क्यांकि महावीर एक नया व्यक्ति साबित किया गया व 881 के भाग का मालिक माना गया है। इससे जांच के बिना तय नहीं किया जा सकता कि महावीर विवादित भूमि का भूमि स्वामी कैसे बना और पटवारी ने कैसे गलत रिपोर्ट पेश की। अतः निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसील न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना पत्र में अनावेदक शिवशंकर पटेल लगभग 6 माह से निवास ग्राम में नहीं करने का लेख पटवारी हल्का के प्रतिवेदन में भी भूमिस्वामी शिवशंकर को लगभग 6 माह से ग्राम में निवास नहीं करते ऐसा बताया है। भूमिस्वामी को जिसकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा लिखा गया है, उसे सूचना नहीं दी एवं न ही उसे अपने पक्ष समर्थन का अवसर दिया, इसी कारण अनुविभागीय अधिकारी ने तहसीलदार को स्वयं मौके की जांच कर उभय पक्षों को विधिवत पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये विधिअनुसार गुण–दोष पर निराकरण

हेतु प्रत्यावर्तित किया है। संहिता की धारा 115, 116 के अन्तर्गत खसरे में नवीन प्रविष्टी नहीं की जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को अपर कलेक्टर द्वारा भी अपने आदेश में उचित माना है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश समवर्ती आदेश में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होने से निगरानी आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अपर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 13–4–2012 एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ जिला रीवा का आदेश दिनांक 01–07–2010 स्थिर रखे जाते हैं।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर